02.11.2022 परिवादी द्वारा श्री राजेश पटेल अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण पंजीयन पर आदेश हेतु नियत है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

परिवाद पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 23.06.2022 को अभियुक्त एच.एल.के. इन्फ्रास्ट्रेक्चर प्रा. लि. द्वारा नितीश कुकरेजा ने परिवादी के नाम पर 18,88,000/–रुपये का चैक जारी किया था जिसे परिवादी के द्वारा 03 माह के भीतर एक्सेस बैंक लिमिटेड शाखा बमीठा में पेश किया गया था जो दिनांक 23.08.2022 को इस आधार पर अनादरित कर दिया गया कि चैक में वर्णित राशि के शब्दों और अंकों में भिन्नता है। दिनांक 07.09.2022 को 01 माह के भीतर अभियुक्तगण एच.एल. के. इन्फ्रास्ट्रेक्चर प्रा.लि. एवं यू.एम.डी.एस. इंजीनियर्स प्रा.लि. को रजिस्टर्ड डिमाण्ड नोटिस भेजा गया जो अभियुक्तगण को दिनांक 09.09.2022 को प्राप्त हुई। डिमाण्ड नोटिस अभियुक्तगण के पते पर पहुॅचने के 15 दिन के भीतर अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को राशि भुगतान न करने पर परिवादी द्वारा दिनांक 20.10.2022 को न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया है। परिवादी के द्वारा उक्त चैक दिनांक 23.06.2022 को तत्पश्चात् दिनांक 22.08.2022 को एक्सेस बैंक शाखा बमीठा में प्रस्तुत किया गया था जिसमें दिनांक 22.08.2022 को उक्त चैक में वर्णित 18,88,000/–रुपये की राशि में से 9,00,000/–रुपये का भुगतान भागतः दिनांक 05.07.2022 को किए जाने के संबंध में पृष्ठांकन किया जाना दर्शित है तथा परिवादी के द्वारा दिनांक 03.08. 2022 को अभियुक्तगण एच.एल.के. इन्फ्रास्ट्रेक्चर प्रा.लि. निदेशक नितीश कुकरेजा एवं यू.एम.डी.एस. इंजीनियर्स प्रा.लि. निदेशक दीपक सिंह को ई–मेल के माध्यम से 9,00,000/–रुपये का पैमेंट प्राप्त करने तथा शेष 9,88,000/–रुपये का भुगतान 07 दिवस के भीतर

परिवादी को करने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है जो परिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत **दशरथभाई टीकमभाई पटेल विरूद्ध हितेश महेन्द्रभाई पटेल एवं अन्य 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस. सी. 1376** में मान्नीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार उक्त चैक भुगतान हेतु प्रस्तुत करते समय विधि द्वारा प्रवर्तनीय ऋण के संबंध में प्रस्तुत किया जाना दर्शित हो रहा है। अभियुक्त एच.एल.के. इन्फ्रास्ट्रेक्चर प्रा.लि. द्वारा नितीश कुकरेजा के द्वारा उक्त चैक परिवादी को जारी किया जाना बताया गया है और उक्त चैक यू.एम. डी.एस. इंजीनियर्स प्रा.लि. द्वारा निदेशक दीपक सिंह के द्वारा जारी नहीं किया जाना दर्शित है ऐसी स्थिति में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम की परिधि में प्रथम दृष्टया आपराधिक दायित्व चैक जारी करने वाले व्यक्ति का ही होता है। अतः प्रकरण में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत संज्ञान लिए जाने के पर्याप्त आधार हैं। अभियुक्त एच.एल.के. इन्फ्रास्ट्रेक्चर प्रा.लि. प्रथम तल ए–78 दिलशाद गार्डन नई दिल्ली द्वारा निदेशक नितीश कुकरेजा के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है।

प्रकरण केन्द्रीय पंजी में पंजीबद्ध किया जावे तथा परिवादी द्वारा नियमानुसार तलबाना, परिवाद पत्र व संलग्न दस्तावेजों की प्रति प्रदान किए जाने पर अभियुक्त को जरिए साधारण एवं रजिस्टर्ड डाक से नोटिस इस टीप के अधीन जारी हो कि अभियुक्त चाहे तो पेशी दिनांक या उसके पूर्व परिवादी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में वर्णित चैक की राशि 9,88,000/–रुपये तथा न्यायालय शुल्क 35,640/–रुपये कुल 10,23,640/–रुपये परिवादी

के बैंक खाते में डालकर परिवादी को सूचित करे तद्ोपरांत उक्त जमा की गई राशि के संबंध में दस्तावेज न्यायालय में पेश करे तो अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावेगी यदि अभियुक्त उक्त राशि जमा नहीं करता है तो प्रथम या द्वितीय पेशी पर उक्त राशि परिवादी को अदा कर अपराध का शमन कर सकता है। प्रथम या द्वितीय पेशी के उपरांत अपराध का शमन किया जाता है तो चैक राशि पर 10 प्रतिशत तक शमन शुल्क अभियुक्त पर अधिरोपित किया जा सकेगा।

प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु दिनांक 20.12.2022 को पेश हो।

(ब्रजेश कुमार चंसौरिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
राजनगर, जिला छतरपुर

BRAJESH KUMAR CHANSORIYA

Digitally signed by BRAJESH KUMAR CHANSORIYA
Date: 2022.11.02 16:52:57 +0530